उत्तर प्रदेश शासन
संसदीय कार्य अनुभाग-2
संख्या-03/2022/378/90-सं-2-2022-18सं(ज)/86टी0सी-1
लखनऊ: दिनांक-26 जुलाई, 2022

शुद्धि-पत्र

संसदीय कार्य विभाग से शासनादेश संख्या-1/2022/I/167330/90-सं-2-2022-18सं(ज)/86 टी0सी0, दिनांक 18 मई, 2022 को परिपत्र निर्गत किया गया। जिसमें शासनादेश संख्या-1391/सत्रह-सं-2-18सं(ज)/86, दिनांक 21-09-1998 के स्थान पर टंकण त्रुटिवश शासनादेश संख्या-1391/79-सं-99-18सं(ज)/86, दिनांक 21-09-1998 अंकित हो गया है। कृपया उक्त परिपत्र दिनांक 18 मई, 2022 में संदर्भित शासनादेश संख्या-1391/79-सं-99-18सं(ज)/86, दिनांक 21-09-1998 के स्थान पर शासनादेश संख्या-1391/सत्रह-सं-2-18सं(ज)/86, दिनांक 21-09-1998 पढा जाय।

ज्ञान प्रकाश ।।।
विशेष सचिव।

संख्या-03/2022/378/90-सं-2-2022/(1)/90-सं-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
(2) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(4) पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
(6) निजी सचिव, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी।
(7) निजी सचिव, मा0 नेता सदन विधान परिषद।
(8) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान सभा/ विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
(9) निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0।
(10) संसदीय कार्य विभाग के समस्त अधिकारी/समस्त अनुभाग।
(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(ज्ञान प्रकाश ।।।)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।